न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री दुर्गाप्रसाद मीणा R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्याः– 389 / 2022

निर्णय दिनांक :– 15/06/2023

उनवानी प्रार्थना पत्रः–

1. घासी पुत्र गंगल्या जाति बैरवा निवासी चांदसिंहपुरा तहसील दूनी जिला टोंक राज0
2. मथुरा पुत्री गंगल्या जाति बैरवा निवासी चांदसिंहपुरा तहसील दूनी जिला टोंक राज0

–प्रार्थीगण–

बनाम

तहसीलदार महोदय दूनी जिला टोंक राज0

–अप्रार्थी–

उपस्थितिः–

श्री लक्ष्मीनारायण गुर्जर
अधिवक्ता प्रार्थीगण

तहसीलदार दूनी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0 आर0 एक्ट आर.टी.ए
बाबत किये जाने पत्थरगढी

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी की आराजी भूमि खसरा नम्बर 506 रकबा 0.33 है0 भूमि वाके ग्राम चांदसिंहपुरा तहसील दूनी जिला टोंक राजस्थान में स्थित है। प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि के सीमा चिन्ह मिट चुके है तथा सीमाएं अस्पष्ट हो गई है। जिसके कारण मोके पर प्रार्थी एवं अड़ोस पड़ोस के खातेदारो के मध्य उक्त भूमि की सीमा एवं कब्जे को लेकर गंभीर विवाद होने के संभावना उत्पन्न हो गई है। ऐसी स्थिति मे उक्त भूमि की पत्थरगढी करवाया जाना नितान्त आवश्यक है। उक्त भूमि बाबत कोई वाद न्यायालय में विचाराधीन नहीं है और न किसी प्रकार का कोई स्थगन आदेश भी न्यायालय से जारी नहीं है। प्रार्थी नियमानुसार पत्थरगढी शुल्क जमा कराने को तैयार है। प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार न्यायालय को प्राप्त है। अतः उक्त आराजी बाबत श्रीमान तहसीलदार दूनी को नियमानुसार आदेश फरमाया जावे।

अप्रार्थी तहसीलदार दूनी की तलबी जारी की गई।

तहसीलदार दूनी द्वारा जवाब/रिपोर्ट पेश की जो इस प्रकार हैः– ग्राम चांदसिंहपुरा के ख. नं. 506 रकबा 0.33 है0 भूमि आवेदक की में दर्ज रिकॉर्ड है एवं कब्जेकाश्त है। हां आवेदक द्वारा बताया गया है कि पड़ोसी खातेदारो से कोई सीमा विवाद है। देवीसिंह पुत्र आनन्द सिंह ख. नं. 505 रकबा 0.40 है0, श्योराज पुत्र आनन्द सिंह ख. नं. 505 रकबा 0.40 है0। नही आवेदक का जिन खातेदारो से विवाद है उनको पक्षकार नहीं बनाया गया है । हों उनको पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है। उक्त आराजी खसरा नंम्बर में न्यायालय में किसी भी प्रकार का स्थगन नहीं है। आवेदक की भूमि की सीमाओं पर कोई भी राजकीय भूमि ख. नं. 525 रकबा 0.25 है0(गै. मु. रास्ता)है । उक्त भूमि का पूर्व में सीमाज्ञान नहीं नहीं होना बताया।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने की प्रार्थना की।

पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। तहसीलदार दूनी की बिन्दूवार रिपोर्ट अनुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। अतः तहसीलदार दूनी को एतत् द्वारा आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी व पड़ोसी खातेदारान की उपस्थिति में प्रार्थी से नियमानुसार पत्थरगढी/सीमाज्ञान शुल्क राजकोष में जमाकर जमाबन्दी सम्वत <u>2074–2077</u> में अंकित खाता संख्या 108 खसरा नम्बर 506 रकबा 0.33 है0 वाके वाके ग्राम चांदसिंहपुरा तहसील दूनी जिला टोंक में प्रार्थीगण का कब्जाकाश्त होने पर विधिवत् पत्थरगढी की जावे अन्यथा प्रार्थी की उक्त आराजी का सीमाज्ञान कर प्रार्थी को अवगत करावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। नियमानुसार बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली